19/8/15 फरवरी पुत्रा और बालिका के मिसल तलाकी अवेदन जरिए वकील श्री लक्ष्मणसिंह पेश होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के बीच वैवाहिक सम्बन्ध है तथा चलाना नहीं चाहते है तथा विवाह अपरान्त उक्त प्रार्थीगण को पहचान, वकील वादी श्री लक्ष्मणसिंह शपथ हाजा कर गई। अतः प्रार्थीगण के निवेदन पर वाद वादी विवाह विच्छेद अन्तर्गत धारा 13 (1) मिसल फैसला शुमार हो कर नोटिस जारी किया।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ

नि: श्रीवास्तव
पहचान नकल